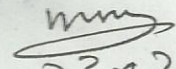


क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मेंपरियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में गोपेश्वर मंदिर मार्ग से
वैतरणी-सिरोखोमा-सिटुणा -बैरागना मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु
 हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण)
 अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति
 मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 1804, ग्राम वणद्वारा में
 8.00 हे० क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।


 अधिशासी अभियन्ता
 प्रा० खं० लो० नि० वि०,
 गोपेश्वर


 23.02.16
 जिलाधिकारी,
 चमोली